रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939
No. 576] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 33/2017-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 801(अ).—जबकि कि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 21 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/28/2014-डीजीएडी, के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय यूनियन, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन तथा अमरीका (जिन्हें एतश्मिन पश्चात विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडा ऐश" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु के रूप में संबोधित किया गया) जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 283620 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले परिपाटन शुल्क को बनाए रखने के मामले में सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) के नियम 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (5) के संबंध में, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 3 जुलाई, 2012 को सा.का.नि. सं. 528(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 जुलाई , 2012 की अधिसूचना सं. 34/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लागू किया गया था,की मध्यावधि समीक्षा प्रारंभ की थी।

और जबकि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की मध्यावधि समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, में दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/28/2014-डीजीएसी दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

i. तथापि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पाटन जारी है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन क्षति की अवधि (इसके पश्चात् जिसे पीओआई के रूप में संबोधित किया गया है) के दौरान धनात्मक है, इसलिए घरेलू उद्योग की मात्रा, कीमतों और लाभ प्रदाता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पीओआई के दौरान एवं पीओआई के पश्चात नहीं है।

ii. अंडरकटिंग एवं अंडरसेलिंग दोनों पीओआई तथा पीओआई के पश्चात ऋणात्मक हैं।

iii. पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात क्षति मार्जिन ऋणात्मक है।

iv. पीओआई के दौरान संबद्ध देशों द्वारा अन्य देशों के निर्यात की आधार कीमतों पर संभावित क्षति मार्जिन भी ऋणात्मक है ।

v. कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी का प्रभाव नहीं है ।

vi. घरेलू उद्योग के लगभग सभी मात्रा प्राचल और कीमत प्राचल पीओआई के दौरान तथा पीओआई के पश्चात धनात्मक है और घरेलू उद्योग के निष्पादन में लंबी अवधि के लिए उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

vii. तथापि पाटन करने वाले देश, न तो घरेलू उद्योग क्षति का कारण है और न ही पाटनरोधी शुल्क के निरसन की स्थिति में संभावित क्षति का कारण हैं ।

और संबद्ध देशों के मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के निरसन की सिफारिश की है।

और जहां कि, उक्त अंतिम निष्कर्षों को 2016 के विशेष सिविल आवेदन 16426 और 16428 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने अपने दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के आदेश में यह कहा है कि यदि नामित प्राधिकारी के द्वारा दर्ज विवादितव अंतिम निष्कर्ष के अनुपालन में, केन्द्र सरकार प्रतिपाटन नियमावली के नियम 18 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है तो वह इन याचिकाओं के अंतिम निपटान तक लागू नहीं होगी ।

और जहां कि केन्द्र सरकार ने भारत सरकर, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 34/2012–सीमा–शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 जुलाई, 2012, जिसे सा.का.नि. 528(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) प्रकाशित किया गया था, को अधिसूचना सं. 55/2016–सीमा-शुल्क, दिनांक 21-12-2016 के द्वारा निरसित कर दिया गया था और ऐसे निरसन करने वाली अधिसूचना को स्पेशल सिविल एप्लीकेशन में 16426 और 16428 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के चलते अस्थागित रखा गया था ।

जहां कि नामित अधिकारी ने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर भारत सरकर, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 34/2012–सीमा-शुल्क (एडीडी), दिनांक 3 जुलाई, 2012, जिसे सा.का.नि. 528(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2012, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड-3, उपखंड (i) प्रकाशित कियागया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार और प्रतिपाटन शुल्क की नियमावली के नियम 23 के अुनपालन अधिसूचना सं. 7/5/2017-डीजीएडी, दिनांक 16 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित समीक्षा कार्य शुरू किया गया है और उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार इस प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है ।

अंत: अब प्रतिपाटन शुल्क नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ,एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 34/2012-सीमा-शुल्क(एडीडी), दिनांक 3 जुलाई, 2012 जिसे सा.का.नि. 528(अ) दिनांक 3 जुलाई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग ।। खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है।

इस अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्न को जोड़ा जायेगा, यथा –

3. "माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में स्पेशल सिविल एप्लीकेशन सं. 16426 और 16428 /2016 के निर्णय के अधीन यह अधिसूचना यदि इसके पहले वापस नहीं ले ली जाती है तो, 2 जुलाई, 2018 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी ।."

[फा. सं. 354/198/2011-टीआरयू (भाग-I)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 33/2017–Customs (ADD)

G.S.R. 801(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/28/2014-DGAD, dated the 21st July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st July, 2015, had initiated mid-term review investigation in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Anti-dumping Rules) in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Soda Ash (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 2836 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from, People's Republic of China, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 528(E), dated the 3rd July, 2012;

And, whereas, the designated authority, in its final findings in mid-term review (hereinafter referred to as the final findings) *vide* notification No.15/28/2014-DGAD, dated the 23rd September, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd September, 2016, has come to the conclusion that-

(i) although dumping has continued despite the anti-dumping duties in force and the dumping of subject goods from the subject countries is positive during the Period of Investigation (hereinafter referred to as POI), the adverse impact of the same on the volume, prices and profitability of the domestic industry is absent during the POI as well as post-POI;

(ii) both undercutting and underselling are negative during POI as well as post-POI;

(iii) the injury margin is negative during POI as well as post-POI;

(iv) the likely injury margin, on the basis prices of third country exports by the subject countries during the POI are also negative;

(v) price suppression and price depression effects are absent;

(vi) all most all volume parameters and price parameters of the domestic industry are positive during POI and post-POI and there is a remarkable improvement of lasting nature in the performance of the domestic industry;

(vii) although dumping continues, neither it has caused injury to the domestic industry, nor is there any likelihood of causing injury in the event of revocation of the anti-dumping duties,

and had recommended revocation of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries;

And whereas, the said final findings dated the 23rd September, 2016 were challenged in the Hon'ble High Court of Gujarat in Special Civil Applications No. 16426 of 2016 and 16428 of 2016 and the High Court vide it's order dated the 13th December, 2016 had held that in case, pursuant to the impugned final findings recorded by the designated authority, the Central Government published a notification in the Official Gazette under rule 18 of the Anti-dumping Rules, the same shall not be acted upon till the final disposal of these petitions.

And whereas, the Central Government had rescinded the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 528(E), dated the 3rd July, 2012, vide rescinding notification No. 55/2016-Customs (ADD), dated 21st December 2016 and the operation of the said rescinding notification was kept in abeyance subject to the

final order of the Hon'ble Court of Gujarat in Special Civil Applications No. 16426 of 2016 and 16428 of 2016.

Whereas, the designated authority *vide* notification No. 7/5/2017-DGAD dated the 16th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 16th June, 2017, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the Anti-dumping Rules, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject countries imposed *vide* the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 528(E), dated the 3rd July, 2012, and has recommended for extension of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the Anti-dumping Rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 34/2012-Customs (ADD), dated the 3rd July, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 528(E), dated the 3rd July, 2012, namely: -

In the said notification, in paragraph 2 and before the explanation, the following shall be added, namely:-

3. "Subject to the final decision of the Hon'ble High court of Gujarat in Special Civil Applications No. 16426 of 2016 and 16428 of 2016, this notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 2nd July, 2018".

[F. No. 354/198/2011–TRU (Pt.-1)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.01 02:28:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.